

विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-729/वि0प0-23सं0/98
लखनऊ, दिनांक 22 जुलाई, 2024

अधिसूचना

विविध

सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-2(ज) के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई, 2024 से श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् को विधान परिषद् में नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

आज्ञा से,
डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-729 (1-29)/वि0प0-23सं0/98, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिव को, [माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के सूचनार्थ],
- 2-माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को, माननीय सभापति जी के सूचनार्थ,
- 3-माननीय नेता सदन, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को, माननीय नेता सदन, विधान परिषद् के सूचनार्थ,
- 4-श्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-1261, दिनांक 22 जुलाई, 2024 के क्रम में सूचनार्थ,
- 5-श्री लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल एवं सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 6-समस्त माननीय सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 7-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 8-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 9-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 10-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली,
- 11-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 12-प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य/विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
- 13-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को, प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ,

- 14-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 15-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 16-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन निदेशालय, विकास भवन, लखनऊ,
- 17-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली,
- 18-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ,
- 19-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ,
- 20-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 21-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश,
- 22-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 23-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 24-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ब्रान्च प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ,
- 25-निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 26-समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 27-मार्शल/व्यवस्थाधिकारी, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 28-विशेष कार्याधिकारी (प्रकाशन), विधान परिषद् (वेबसाइट हेतु),
- 29-लेखा अनुभाग-1 व 2, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

प्रताप नारायण द्विवेदी,
विशेष सचिव।